

सं०सं०-16/एम.1-59/2025 - 10/0 (आ.चि.)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक- 02.7.2026

विषय:- सारण, छपरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुष फिजिशियन, यूनानी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 09/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-306(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा आयुष फिजिशियन, यूनानी को पूर्णत औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरांत आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०- 745(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा आयुष फिजिशियन, यूनानी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा आयुष कॉलेज अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी आयुष फिजिशियन, यूनानी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी आयुष फिजिशियन, यूनानी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

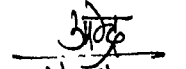
अतः निम्नांकित नवनियुक्त आयुष फिजिशियन, यूनानी के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि (कॉलम-4) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० रजिया नूर, आयुष फिजिशियन, यूनानी	सदर अस्पताल सारण, छपरा	15.03 2024 से 22.07 2024 तक 130 दिन	शून्य	14112425055713	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में

उक्त अवधि में उन्हें उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


02/07/2024

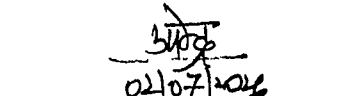
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—16/एम.1—59/2025 — 10/0 (आ.प्र.) पटना, दिनांक—02.07.2026

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, सारण, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/स्वाधेय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ संबंधित आयुष फिजिशियन, यूनानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


02/07/2024
सरकार के अवर सचिव